न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स०मा०)

पीठासीन अधिकारी:— सीमा खेतान (आर.ए.एस)
GCMS:- 2023/96

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
65 / 2023	01.12.2023	10.06.2025

1. विकास लाम्बा पुत्र होशियार सिंह लाम्बा जाति जाट निवासी छावनी नीम का थाना जिला सीकर।

——प्रार्थी

बनाम

1. रामहेत पुत्र नागा जाति गुर्जर निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार।
2. हेमराज पुत्र नागा जाति गुर्जर निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार।
3. ग्यारसी पुत्री नागा जाति गुर्जर निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार।
4. शम्पो पत्नि रामहरि जाति गुर्जर निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार।
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

——अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :—श्री नागाराम मीनाअधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
श्री रविशंकर अग्रवाल अधिवक्ता अप्रार्थीगणों की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया है,

- प्रार्थी छावनी नीम का थाना जिला सीकर का निवासी है जिसकी खातेदारी कब्जेकास्त की आराजी खसरा नम्बर 31,32,33 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 1 विस्वा बांकेग्राम दौलतपुरा में स्थित है।
- अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 ग्राम दौलतपुरा के गुर्जर समुदाय के निवासी है जो किथोक बन्द स्थानीय ग्राम दौलतपुरा के निवासी है तथा प्रार्थी जिला सीकर का निवासी है जोअकेला व्यक्ति है अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की जमीन 34 / 1 रकबा 7 बीघा 1 विस्वाबांके ग्राम दौलतपुरा में स्थित है।
- प्रार्थी की खातेदारी कब्जे कास्त की आराजी खसरा नम्बर 31,32,33 किता 3कुल रकबा 4 बीघा 1 विस्वा के पहले अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी कीजमीन खसरा नम्बर 34 / 1 बांके ग्राम दौलतपुरा रकबा 7 बीघा 1 विस्वा स्थित है। प्रार्थी की जमीन पर जाने व आने बाबत् एक मात्र अस्थायी विकल्प 34 / 1 रकबा7 बीघा 1 विस्वा का उपयोग करना पड़ता है जिसमे कोई रिकोडेड रास्ता नही है इसके अलावा प्रार्थी की जमीन पर पहूचने का कोई विकल्प नही है तथा प्रार्थी की आराजी31,32,33 कुल किता 3 कुल रकबा 34 / 1 से निकटम कोई रास्ता नही है।
- प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 31,32,33 को इस वर्ष जरिये विक्रयपत्र क्रय किया है जिसका नामान्तर करण 1763 दिनांक 03.10.2023 को प्रार्थी के पक्ष मेंखुला है तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 इस बात से नाराज है कि उक्त आराजीयात कोप्रार्थी द्वारा क्यो खरीदा है इसलिए जैसे ही प्रार्थी दिनांक 19.10.2023 का अपनी आराजीयातपर गया तो अप्रार्थीगण नाराज होकर कहने लगे कि आप ने इस जमीन को क्यो खरीदा

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स. मा.) सत्यमेव जयते)

ssl
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

है। हम आपको हमारे खेत से नही निकलने देगे जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है।

- प्रार्थी ने अप्रार्थीगणों का समझाया कि भाईयों मै अपनी जमीन पर कास्त वदेखभाल करने तो जाऊगा। आप चाहे तो रास्ता देने की एवज में जमीन के बदले जमीन लेलो या फिर जितनी जमीन तुम्हारे रास्तं में जाये उसकी कीमत रूपयो में ले लो किन्तुअप्रार्थीगण नही माने ओर प्रार्थी को धमकी दी कि हम तो आप को किसी भी सूरत में नहीनिकलने देगे अब प्रार्थी के पास अपनी जमीन पर पहूचने बाबत् एक मात्र विकल्प माननीयन्यायालय की शरण लेकर रास्ता रिकोडेड प्राप्त करें जिससे कि प्रार्थी अपनी जमीन परपहूँच सके ।
- प्रार्थी अप्रार्थीगण को जमीन के बदले जमीन व पैसे देने को तैयार है।
- प्रार्थी की जमीन लॉक्ड है तथा खसरा नम्बर 34/1 जो कि अप्रार्थीगण की भूमिहै से निकटतम रास्तो के लिए के लिए अन्य जगह उपलब्ध नही है।
- अतः सेवामें प्रार्थनापत्र 251ए पेशकर निवेदन है किप्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 34/1 के पूर्वी कोने से प्रार्थी को तीस फिट चौड़ारास्ता दिलवाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणो द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थना पत्र के अधिकतर बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया और विशेष विवरण मे निम्न प्रकार अंकित किया गया है कि :– प्रार्थी के द्वारा आराजीयात खसरा 31, 32, 33 किता 3 रकबा 4 बीघा 1 विस्बा बाके ग्राम दौलतपुरा की उक्त जमीन उजेर अहमद, तुफैल अहमद पुत्रान सगीर अहमद जाति– मुसलमान निवासीयान सवाई माधोपुर से कुछ समय पूर्व ही खरीदी है। पूर्व खातेदार आराजीयात खसरा 31 के सामने स्थित खातेदारान सुमेरसिंह चौधरी व अन्य की आराजीयात खसरा 29/1 में स्थित पहले से ही मौके पर 12 फिट स्थित रास्ते में से निकलते आ रहे है तथा उक्त खातेदारों की आराजी में से ग्राम दौलतपुरा के अन्य खातेदार भी कई सालो से बिना रूकावट के निकलते आ रहे है। अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी आराजी ख० नं0 34/1 रकबा 7 बीघा 1 विस्वा जमीन का आपस में बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उक्त जमीन एन एच नं0 552 पर उत्तर दिशा की और स्थित है जिस पर अप्रार्थीगण ने अपने अपने हिस्सेसुदा जमीन पर पत्थरों की बाउण्डी एवं तारबन्दी 20 साल पूर्व से ही कर रखी है । प्रार्थी जाट समाज का धनाढ्य एवं नौकरी पेशा व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण गरीब किसान आदमी है। प्रार्थी की जमीन पर पहुचने का निकट रास्ता पहले से ही मौजुद है। प्रार्थी तथ्यों को छिपाकर के नया रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी में से धनबल के द्वारा लेना चाहता है ग्राम दौतलपुरा ने अन्य खातेदारों द्वारा भी उक्त मौके पर मौजूद रास्ते में होकर अपनी आराजीयात को हॉकने जोतने, व काश्त करने हेतु पूर्व से ही बने हुये रास्ते में से निबार्ध रूप से निकलते आ रहे है तथा अप्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात की पश्चिम दिशा की और से अप्रार्थीगण ने अन्य खातेदारों की आराजीयात में आने जाने हेतु रास्ता पूर्व में ही भी छोड़ा हुआ है। प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज किया जाना न्याय संगत है।

3. तहसीलदार खण्डार (अप्रार्थी संख्या 05) से उक्त विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 1816 दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकित किया गया है कि ग्राम दौलतपुरा के आराजी ख.न. 31 रकबा 0–16 बीघा ख.न. 32 रकबा 0–05 बीघा ख.न. 33 रकबा 3–00 बीघा किता–3 रकबा 4–01 बीघा वादी खातेदारी व कब्जा काश्त कि भूमि है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु कोई स्थाई रास्ता चालू नही है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि के निकटतम कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

मुख्य सडक से अपनी खातेदारी भूमि ख.न.33 मे पहुचने हेतु ख.न. 34/1 मे से आवागमन
हेतु रास्ता दिये जाना सुविधा जनक रहेगा। प्रार्थी को अपने खेत पर आवागमन हेतु ख.न.
34/1 मे रास्ता दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया आराजी ख.न.34/1 मे
वांछित रास्ते के अलावा अन्य रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा आराजी ख.न.
34/1 मे चाहा गया वांछित लम्बाई 70 मीटर चौडाई 9 मीटर कुल 630 वर्गमीटर रास्ते के
अलावा अन्य विकल्प नही है। पक्षकार प्रतिकर के रकम पर सहमत नही होने से ख.न.
34/1 मे से 9 मीटर चौडा व 70 मीटर लम्बा रास्ते दिये जाने हेतु कस्र दर की दो गुना
राशी 120820 रूपये जमा करवाये जाने है। पक्षकार भूमि के बदले भूमि दिये जाने हेतु
सहमत नही है। प्रार्थी द्वारा ख.न.34/1 के पूर्वी कोने से रास्ता चाहा गया है। जिसकी 9
मीटर चौडा व 70 मीटर लम्बा रास्ते हेतु DLC दर की दो गुना राशी 120820 रूपये जमा
करवाये जाने है।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि तहसीलदार खण्डार
द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.2024 पर आपत्ति दर्ज की गई है कि न्यायहित में
पुनः मौके पर मोजूद खसरा नम्बर 29/1 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा ग्राम दौलतपुरा में स्थित
रास्ते 12 फीट का पुनः मौका रिपोर्ट मंगवानें की कृपा करें। वकील प्रार्थी द्वारा जबाव पेश
कर निवेदन किया गया है कि खसरा नम्बर 29/1 से रास्ता दूर होना बताया गया है।
मौका रिपोर्ट अनुसार निकटतम् रास्ता 34/1 मे से होकर प्रस्तावित बताया गया है।
न्यायहित में वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार खण्डार से पुनः
मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई।

4. तहसीलदार खण्डार के पत्रांक भू.अ./25/162 दिनांक 17.04.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट पेश
की गई। जिसमें पटवारी मोका रिपोर्ट दिनांक 15.04.2025 में अवगत कराया गया है कि
मौके पर खसरा नम्बर 29/1 के मध्य से 12 फीट चौड़ा रास्ता दिया हुआ है जो प्रार्थी की
खातेदारी खसरा नम्बर 33 तक नहीं जाता है। और ना ही राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप
में दर्ज है। खसरा नम्बर 29/1 के पश्चिमी मेड से नया रास्ता दिया जाना न्याय उचित
नही है। प्रार्थी की खातेदारी खसरानम्बर 33 में पहुचने हेतु खसरा नम्बर 34/1 की पूर्वी
मेड से दिया जाना उचित होगा।

5. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र का दोहरान करते हुए
अवगत कराया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 31, 32, 33 पर
आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 34/1 से होकर निकटतम् होने
से उक्त खसरा नम्बर 34/1 के पूर्वी कोने से प्रार्थी को 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाकर
राजस्व रिकार्ड में नवीन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।
तहसीलदार खण्डार द्वारा मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थी के खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु
निकटतम् रास्ता खसरा नम्बर 34/1 से होकर बताया गया है।

6. बहस वकील अप्रार्थीगण सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र का
दोहरान करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के द्वारा आराजीयात खसरा 31, 32, 33
किता 3 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा बाके ग्राम दौलतपुरा की उक्त जमीन उजेर अहमद, तुफैल
अहमद पुत्रान सगीर अहमद जाति– मुसलमान निवासीयान सवाई माधोपुर से कुछ समय
पूर्व ही खरीदी है। पूर्व खातेदार आराजीयात खसरा 31 के सामने स्थित खातेदारान
सुमेरसिंह चौधरी व अन्य की आराजीयात खसरा 29/1 में स्थित पहले से ही मौके पर 12
फिट स्थित रास्ते में से निकलते आ रहे है तथा उक्त खातेदारों की आराजी में से ग्राम
दौलतपुरा के अन्य खातेदार भी कई सालो से बिना रूकावट के निकलते आ रहे है।
अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी आराजी ख० नं0 34/1 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा जमीन का
आपस में बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उक्त जमीन एन एच नं0 552 पर उत्तर दिशा

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स. मा.) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)